राजधानी कॉलेज
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

RAJDHANI COLLEGE
(UNIVERSITY OF DELHI)

✆ २५६३०७५२
✆: 25930752

राजा गार्डन, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110015

Raja Garden, Ring Road,
New Delhi-110015

संदर्भ :

दिनांक
Ref. No. RC/RG/RAJBHASHA/राज भाषा/450 Dated 23/5/2022

अधिसूचना

भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित मदों पर आपकी कार्यवाही अपेक्षित है -

1. सभी प्रोसपेक्टस, सूचना बुलेटिन, सूचनापट्ट, रबड़ की मोहरे, पत्रशीर्ष, फाइल कवर, नामपट्ट विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के पहचान पत्र, निमंत्रण पत्र, पुस्तकालय कार्ड, लिफाफों पर पते इत्यादि द्विभाषी रूप में (ऊपर/पहले हिंदी तथा नीचे/ बाद में अंग्रेजी या अन्य भाषा तथा फ़ोंट आकार समान) मुद्रित किए जाए।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजात, यथा सामान्य आदेश (General Orders), ज्ञापन (Memorandums), संकल्प (Resolutions), अधिसूचनाएं (Notifications), नियम (Rules), करार (Agreements), संविदा (Contracts), निविदा सूचनाएं (Tender Notices), संसदीय प्रश्न (Parliament Questions), प्रशासनिक रिपोर्ट (Administrative Report), अन्य रिपोर्ट (Other Reports), प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques), अनुज्ञप्ति (Licences), अनुज्ञा-पत्रों (POermits), सूचनाओं (Notices), निविदा प्रारूपों (Forms of tender) इत्यादि आवश्यक रूप से द्विभाषीय (हिंदी तथा अंग्रजी) होने चाहिए।
3. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाए।
4. कार्यालयों में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड की सहायता से हिंदी में टंकण कार्य किया जाए।
5. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाए तथा सभी प्रकार के रजिस्टरों आदि के शीर्षक तथा महाविद्यालय की वेबसाइट अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेजी) हो।
6. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
7. राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011) के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।
8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2021-22) में निर्धारित लक्ष्य ('क' क्षेत्र के लिए 75% टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाए) के अनुसार टिप्पणिया हिंदी में लिखी जाएँ।
9. कार्यालयों में संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं और प्रकिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

प्रोफ़ेसर राजेश गिरी
कार्यवाहक प्राचार्य